EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SECTION 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. : 615—622

Dated 8-4-2000

कृषि मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2000

सा.का.नि. 117.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 (1983 का 29) की धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के साथ पठित धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड (कार्यपालक निदेशक) भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अधीन राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड (कार्यपालक निदेशक) भर्ती नियम, 1999 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
कार्यपालक निदेशक	एक	लागू नहीं होता	18400-500-22400 रु.	लागू नहीं होता	अधिमानतः 50 वर्ष से कम

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि हो
7	8	9
आवश्यक : (1) कृषि में मास्टर डिग्री या समतुल्य । (2) कृषि विकास विस्तारण/अनुसंधान में, जिसके अन्तर्गत तिलहनों का उत्पादन भी है, 28 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 18 वर्ष का अनुभव किसी ज्येष्ठ पर्यवेक्षीय हैसियत में होना चाहिए । वांछनीय : कृषि विज्ञान की किसी शाखा में डाक्टरेट डिग्री	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
10	11
प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : (क) केन्द्रीय/राज्य सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/लोक सेक्टर उपक्रमों/स्वशासी निकायों/कृषि विश्व-विद्यालय के ऐसे अधिकारी : (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने 16400-450-20000 रु. के समतुल्य में दो वर्ष नियमित सेवा की है, या (3) जिन्होंने 14300-400-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव है । (बोर्ड में प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि) जिसके अन्तर्गत किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति की पूर्ववर्ती अवधि भी है (पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी) । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।]

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. सचिव (कृषि और सहकारिता) —अध्यक्ष 2. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् —सदस्य 3. विशेष सचिव/अवर सचिव, जो राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड से संबंधित कार्य का भार- नायक है । —सदस्य 4. कृषि आयुक्त —सदस्य	लागू नहीं होता

[फाइल सं. 2-22/95-सी.ए. VI]

पी.डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2000

G.S.R. 117.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18, read with sub-sections (1) and (4) of section 6 of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Act, 1983 (29 of 1983) and in supersession of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board (Executive Director) Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Executive Director in the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Oilseeds and Vegetable Oils Development *Board (Executive Director) Recruitment Rules, 1999.*

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and Scale of Pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification
(1)	(2)	(3)
Executive Director	One	Not applicable

Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(4)	(5)	(6)
Rs. 18400-500-22400	Not applicable	Preferably below 50 years.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications specified for direct recruits will apply in the case of promotees
(7)	(8)
Essential: (i) Master's degree in Agriculture or equivalent. (ii) 20 years' experience in agriculture development, extension/research including production of oilseeds out of which atleast 10 years should be in a senior supervisory capacity. Desirable: Doctorate degree in any branch of Agricultural Science.	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, the grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By deputation/short-term contract, failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract): (a) Officers from Central Government/State Government/Indian Council of Agricultural Research/Public Sector Undertakings/Autonomous bodies/Agricultural Universities and holding: (i) analogous posts on regular basis, or (ii) with two years regular service in the pay scale of Rs. 16400-450-20000 or equivalent, or (iii) with five years' regular service in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 or equivalent, and (b) possessing the experience required for direct recruits. [The total period of deputation in the Board (including the earlier period of deputation in any other post) shall not exceed 5 years]. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of applications.

If a Selection Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Selection Committee consisting of: 1. Secretary (Agriculture & Cooperation) —Chairman 2. Director General Indian Council of Agricultural Research —Member. 3. Special Secretary/Additional Secretary in-charge of the work relating to National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board —Member. 4. Agriculture Commissioner —Member.	Not applicable

[F.No. 2-22/95-CA.VI]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.